संख्या:38/2017/1105जेएल/22-3-17-100(70)/2015

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 04 मई, 2017***

विषय: महाराष्ट्र राज्य के मा0 न्यायालय से दण्डित सिद्धदोष बंदी सुभाष सिंह ठाकुर पुत्र श्री शोभनाथ ठाकुर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध को महाराष्ट्र राज्य वापस भेजे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11784/सामा-1(5)/वा0बं0स्था0-01/2016, दिनांक 19-04-2017 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी सुभाष सिंह ठाकुर पुत्र श्री शोभनाथ ठाकुर को महाराष्ट्र राज्य में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदी को स्थानान्तरित किये जाने से पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739/2012-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में विचाराधीन वादों में सम्बन्धित मा0 न्यायालय की पूर्वानुमति वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ द्वारा अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।**

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या:38/2017/1105जेएल(1)/22-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (कारागार), महाराष्ट्र राज्य, ओल्ड सेंट्रल बिल्डिंग, द्वितीय तल, पुणे-1 (फैक्स नं0-020-26125878)
3. जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद।
4. जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ।
5. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in